पी.एफ.सी. में राजभाषा नीति कार्यान्वयन

पृष्ठभूमि :

भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को स्वाधीन भारत की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था।

राजभाषा के स्वरूप को व्याख्यायित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक राजभाषा नीति निरूपित की गई, जिसके अंतर्गत संवैधानिक (Constitutional) एवं सांविधिक (statutory) प्रावधान किए गए । सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत राजभाषा अधिनियम, 1963; राजभाषा संकल्प, 1968; राजभाषा नियम, 1976; संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर महामहिम राष्ट्रपति के आदेश, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य राजभाषा नीति के अभिन्न अंग हैं। इन प्रावधानों का कार्यान्वयन और अनुपालन न होने की दशा में इसे राजभाषा नीति का उल्लंघन माना जाता है।

इस नीति के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए विभिन्न समितियाँ गठित हैं, जैसे राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, विद्युत मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति और हिंदी सलाहकार समिति, संसदीय राजभाषा समिति तथा केंद्रीय हिंदी समिति।

भूमिका

1. राजभाषा संबंधी संवैधानिक एवं सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों सहित निगम में हिंदीमय वातावरण का निर्माण करना।
2. निगम में भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में निगम के अधिकारियों की सहायता एवं उनका मार्गदर्शन करना।

3. हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए :-

- राजभाषा नीति के बारे में जानकारी देकर, विभिन्न कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों के माध्यम से कार्मिकों में जागरूकता एवं संवेदना का निर्माण करना ।
- हिंदी भाषा, टाइपिंग, आशुलिपि तथा आईटी टूल्स के प्रयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निगम के सभी स्तर के कार्मिकों में क्षमता निर्माण/वृद्धि करना
- भारत सरकार के आदेशों के अनुपालन के संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों/संस्थाओं/संगठनों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना।

मुख्य दायित्व

- अनुसरण, प्रोत्साहन एवं प्रेरणा के माध्यम से निगम में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना और कार्मिकों के लिए बेहतर प्रोत्साहन योजनाएं बनाना तथा उन्हें लागू करना ;

- निजी संपर्क कार्यक्रमों तथा निरीक्षणों के माध्यम से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के संबंध में सांविधिक तथा प्रशासनिक अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करना ;

- निगम के अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करके उन्हें संबंधित सरकारी आदेशों से परिचय कराना, इसका प्रचार-प्रसार करना और उनकी सहायता करना ;

- हिंदी के प्रति जागरूकता एवं रूचि उत्पन्न करने के लिए हिंदी दिवस तथा हिंदी माह या पखवाड़े, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना ;

- निगम के कार्मिकों द्वारा धारित हिंदी के ज्ञान संबंधी रोस्टर तैयार करना और तदनुसार हिंदी सीखने, हिंदी आशुलिपि एवं हिंदी टंकण के लिए हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना ;

- विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथा अपेक्षित हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्टें, छमाही रिपोर्टें एवं वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना ;

- निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित करना तथा अन्य समितियों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

विशिष्ट उपलब्धियां

पिछले कुछ वर्षों में पीएफसी ने इस क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं और सामान्य कार्यों से हटकर भी कुछ कार्य किए हैं, जो अन्य उपक्रमों एवं संस्थानों के लिए उदाहरण एवं अनुकरणीय बन गए हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं :-

- राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन एवं समुचित अनुपालन के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया गया।

- कार्यपालक निदेशक और महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। वर्ष 2012-13 में 06 कार्यशालाओं में विभिन्न स्तर के 147 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। विद्युत क्षेत्र के अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के 53 कार्मिकों ने भाग लिया।

- निगम में सभी कम्प्यूटरों पर हिंदी में काम करने की सुविधा है। निगम के सभी आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि/टाइपिंग/कम्प्यूटर में प्रशिक्षित हैं। राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक यूनिट में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए।

- निगम में प्रयुक्त होने वाले दावा फॉर्म द्विभाषी रूप में इंट्रानेट पर उपलब्ध हैं। कार्मिकों की सुविधा के लिए निगम में प्रयुक्त होने वाले A to Z शब्दों की विभागवार शब्दावली, छोटे-छोटे वाक्यों की A to Z सूची और विभिन्न यूनिटों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे मानक प्रपत्र, संस्वीकृति पत्र, करार ज्ञापन (Memorandum of Agreement) जैसे दस्तावेज भी हिंदी में इंट्रानेट पर उपलब्ध हैं।

- हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट का प्रोफॉर्मा ऑन लाइन किया गया, जिसमें सभी यूनिटें रिपोर्ट भरकर कम्प्यूटर के माध्यम से सीधे हिंदी अनुभाग को भेज सकती हैं। निगम का डायरी एवं डिस्पैच सिस्टम कम्प्यूटरीकृत कराया गया, जिसमें 'क' 'ख' 'ग' क्षेत्रों के अनुसार डाटा रखा जाता है।

- सभी फाइलों के आंतरिक कवर पर हिंदी में मानक संक्षिप्त टिप्पणियां छपवाई गइप। पत्रावलियों पर टिप्पणियां, फाइलों पर नोटिंग, मंजूरी आदेश, अनेक विवरणियाँ, रिपोर्टें, आईओएम, नोटिस, कवरिंग पत्र, अनुस्मारक, पावतियाँ, आरटीआई के उत्तर जैसे अनेक कार्य कार्मिकों द्वारा हिंदी में किए जा रहे हैं।

- प्रत्येक वर्ष हिंदी माह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 5 प्रतियोगिताएं, 01 काव्य गोष्ठी और 1 प्रतियोगिता सुरक्षा गार्डों, डेली वेजर तथा कैजुअल लेबर के लिए आयोजित की गई, जिनमें कुल 88 कार्मिकों ने भाग लिया । समय-समय पर नराकास के लिए इंटर पीएसयू प्रतियोगिता में गायन, तस्वीरें बोलती हैं व आशुभाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जो पहले किसी उपक्रम ने आयोजित नहीं की थीं।

- पिछले 20 साल से एक उच्चस्तरीय त्रैमासिक गृह-पत्रिका 'ऊर्जा दीप्ति' का प्रकाशन किया जा रहा है, जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा-स्रोत रही है । संस्कृति विशेषांक, स्वाधीनता विशेषांक, वसंत विशेषांक, पावस विशेषांक, गुरूदेव रवींद्रनाथ टैगोर विशेषांक जैसे अंक विशेष रूप से सराहनीय रहे । पत्रिका को विद्युत मंत्रालय, नराकास व अन्य अनेक संस्थाओं से 'सर्वश्रेष्ठ पत्रिका' के पुरस्कार मिलते रहे हैं।

- अपने कार्मिकों की कविताओं/कहानियों का संकलन 'संचयिका' प्रकाशित करने का सूत्रपात सबसे पहले हमने किया, जिसका बाद में दूसरे संगठनों ने भी अनुकरण किया।

- पीएफसी की वार्षिक रिपोर्ट डिग्लॉट/द्विभाषी रूप में प्रकाशित की जाती है । बहुत कम संस्थाएं डिग्लॉट रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं ।
- पीएफसी द्वारा आयोजित की जाने वाली वर्तनी शोधन प्रतियोगिता तथा राजभाषा नीति ज्ञान प्रतियोगिता के फॉर्मेट से प्रेरणा लेकर अन्य संगठन भी अनुकरण कर रहे हैं।

इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में पीएफसी को अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं । हाल ही में, फरवरी में, 'राजभाषा कार्यान्वयन एवं प्रशिक्षण मिशन' द्वारा पोर्ट ब्लेयर में आयोजित 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' में पीएफसी को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया । मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में 95% से अधिक कार्य और चैन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में 70-80% कार्य हिंदी में हो रहा है ।

पीएफसी का आदर्श-सूत्र है :- 'हम बेहतर कल की संभावना सृजित करते हैं' और उसी के अनुरूप, हिंदी के प्रचार-प्रसार व विकास के लिए भी हम इसी वचनबद्धता का अनुगमन कर रहे हैं ।

****